न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 25 / 2015
दायर दिनांक : 09 / 09 / 2015
निर्णय दिनांक : 14 / 10 / 2025

उनवान

1. मु. उदी पत्नी रामा भील निवासी उसरोल तहसील भूपालसागर
2. मु. नारायणी पिता रामा भील निवासी उसरोल तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1 शंकरलाल पिता मगनीराम जाट निवासी उसरोल तहसील भूपालसागर
2 हिरालाल पिता लेहरूलाल जाट निवासी उसरोल तहसील भूपालसागर
3 तहसीलदार भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी.

उपस्थिति : 1. श्री ललित झंवर, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री शंकर जाट, अधिवक्त अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में न्यायालय में विचाराधीन वाद को दिनांक 18.02.2015 में अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया है। लम्बे समय से उक्त प्रकरण में पेशियां बदल रही थीं व कार्यवाही भी नहीं हो रही थी जिससे पक्षकार पेशियों पर नहीं आ रहे थे। उक्त प्रमरण में पेशी दिनांक 18.02.15 को वादीगण के अधिवक्ता बाहर चित्तौडगढ चले गये एवं वादीगण भी महिलाऐं होने से पेशी पर हाजिर नहीं हो सकी थी एवं वादीगणों को पेशी की जानकारी नहीं थी। दिनांक 18.02.15 को वादीगण उपस्थित नहीं हो सके एवं वकील साहब भी उपस्थित नहीं हो सके जिससे प्रकरण अदम हाजिरी में खारिज हो गया। प्रकरण बड़ी जायदाद का है दोनों वादीगण महिलाऐं होकर अनुसूचित जनजाति की है व जानबूझकर लापरवाही नहीं की है जिससे प्रकरण को पुनः नंबर पर लिया जाकर सुनवाई की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील शंकर जाट व रामलाल गुर्जर ने अधिकार पत्र व जवाब प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रकरण अदम हाजिरी पैरवी में सही खारिज किया है। अदालत ने प्रकरण को अदम हाजरी पैरवी में सही खारिज किया है। प्राथिया उक्त प्रकरण में कभी हाजिर नही रही । प्रार्थीगण महिलाएं दावा दायर होने के बाद कभी अदालत में हाजिर नही हुई है। झूठे मनगढत तथ्य लिखे है। अदालत ने प्रकरण को अदम हाजरी पैरवी में सही खारिज किया है दोनो वादीगण महिलाएं दावा दायर होने से आज तक कभी अदालत में हाजिर नही हुई है वकील साहब को पेशी की जानकारी रहती है। इसलिए जानबूझकर लापरवाही की है। जिससे प्रकरण को पुनः नंबर पर लिया जाना न्यायोचित नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.16 17:52:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार किया। वकील प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पूर्व में खारिज किये गये दावे की आदेशिका की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ मूल पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये वादपत्र की प्रमाणित प्रति भी संलग्न नहीं की गई है। न ही पर्याप्त साक्ष्य इत्यादि प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त दस्तावेजों के अभाव से दावे के पक्षकारों का पूर्ण विवरण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी स्वयं के दिनांक 18.02.2015 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकने का अंकन किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात एवं पत्रावली पर पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 9 अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.16 17:52:28 IST
Reason: SelfAttested